भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2687
5 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस्पात आयात पर निर्भरता कम करना

2687. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आयात पर निर्भरता कम करने और इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी प्रमुख कार्यनीतियां अपनाई गई हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यनीतिओं से घरेलू उत्पादन और निर्यात निष्पादन में सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो वैश्विक इस्पात क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में अब तक क्या प्रमुख उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात के संबंध में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत का तैयार इस्पात उत्पादन और निर्यात क्रमशः 146.69 मिलियन टन और 4.86 मिलियन टन था।

सरकार ने इस्पात के आयात में कमी लाने और आयात पर निर्भरता कम करने हेतु घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।
iii. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ-साथ घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करना।

जारी.........2/-

iv. केंद्रीय बजट 2024-25 में, घरेलू विनिर्माताओं का सहयोग करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :-

क. फेरो-निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों व सांद्रों, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल हैं, पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ख. फेरस स्क्रैप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

ग. कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट दिनांक 31.3.2026 तक जारी रखी गई है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ मद 7226 11.00 के अंतर्गत आने वाले सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर भी छूट बढ़ा दी गई है।

v. कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) के पाइप और होलो प्रोफाइल (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम व थाईलैंड से) से संबंधित पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।

vi. चीन और वियतनाम के वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

vii. सरकार ने कुछ गैर-मिश्रधातु व मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर मूल्यानुसार 200 दिनों के लिए 12% (बारह प्रतिशत) की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाया है।

viii. घरेलू इस्पात उद्योग से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आयात की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया और दिनांक 25.07.2024 को एसआईएमएस 2.0 शुरू किया गया।

******